न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,हिण्डौन जिला करौली

मुकदमा नं0 198/2024 तारीख रजू:– 25.10.2024

पीठासीन अधिकारी :– हेमराज गुर्जर

R.A.S.

वी. पी. सिंह पुत्र श्री घनश्याम जाति जाट निवासी धंधावली तहसील सुरौठ जिला करौली राजस्थान ———————————————— सायल

बनाम

1. कटोरी पत्नी श्री रामचरण जाति जाट
2. गीता पत्नी घनश्याम जाति जाट
3. देवेन्द्र पुत्र श्री घनश्याम, जाति जाट
4. दिलीप पुत्र श्री रामचरण जाति जाट
5. धनसिह पुत्र श्री धनश्याम जाति जाट
6. पप्पू पुत्र रामचरण जाति जाट
7. मनीषा पुत्री घनश्याम
8. मोहनसिह पुत्र श्री रामचरण, जाति जाट
9. विनिता पुत्री घनश्याम जाति जाट
10. सरोज पत्नी पूरन, जाति जाट
11. हेमलता पत्नी हजारी लाल जाति जाट
12. हरवीर पुत्र रामचरण

निवासी धंधावली तहसील सूरौठ जिला करौली राजस्थान।

13. तहसीलदार तहसील सुरौठ, जिला करौली ———————— गैरसायलान

प्रार्थना पत्र बाबत् अस्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थित :– 1. श्री प्यारेलाल पोहिया एडवोकेट सायल

निर्णय

दिनांक :– 23/12/25

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि सायल ने प्रार्थना पत्र बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध गैरसायलान पेश कर प्रार्थना पत्र के मद 01 में दर्ज किया है कि सायल ने गैरसायल के खिलाफ उपरोक्त उनवानी वादपत्र वावत तकास्मा आराजीयात, घोषणा खातेदारी एवं स्थायी निषेधाज्ञा पेशकर दिया हैं जिसमें सफलता मिलने की पूरी पूरी सम्भावना हैं।

प्रार्थना पत्र के मद 02 में दर्ज किया है कि खाता संख्या–140 में आराजी खसरा नम्बर 1271 रकबा 0.47 है0,, खसरा नम्बर 1360 रकबा 0.20 है0, खसरा नम्बर 1361 रकबा 0.07 है0, खसरा नम्बर 1367 रकबा 0.02 है0, खसरा नम्बर 1368 रकबा 0.29 है0, खसरा नम्बर 1421 रकबा 0.51 है0, खसरा नम्बर 1424 रकबा 0.84 है0, खसरा नम्बर 1426 रकबा 0.11 है0, खसरा नम्बर 1427 रकबा 0.54 है0, कुल किता–9 कुल रकबा 3.05 हैक्टेयर वाके ग्राम धंधावली, तहसील सूरोठ जिला करौली में स्थित है, जो सायल व गैरसायल सं. 1 ता. 12 की सयुक्त खातेदारी हैं जिसमें वादी का 1/36 हिस्सा हैं।

प्रार्थना पत्र के मद 03 में दर्ज किया है कि सायल व गैरसायल नं. 1 ता. 12 ने अपनी उक्त आराजीयात में मौके पर बाहमी बटवारा कर रखा है सायल वाहमी बटवारे के अनुसार मौके पर कब्जा काश्त करते चले आ रहे हैं लेकिन रिकॉर्ड में बटवारा नहीं किया हैं सायल व गैरसायल सं.1 ता 12 में आये दिन आपस में डौल मेड पर विवाद बना रहता हैं तथा लगान आदि पर भी विवाद करते हैं वादी लम्बे समय से अपने हिस्से में आयी आराजीयात पर काश्त करते चले आ रहे हैं।

प्रार्थना पत्र के मद 04 में दर्ज किया है कि घटना दिनांक 16.10.2024 को समय करीब सुबह 10 बजे की हैं कि सायल मजदुरों से अपने हिस्से वाहमी बटवारे के अनुसार आयी आराजीयात की साफ सफाई करवा रहे थे कि इतनें में गैरसायल नं. 1 ता 12 मौके पर आये और आते ही सायल व उनके परिवारजन एवं मजदुरों को धमकी दी की इस जमीन को छोडकर चले जाओ और इस जमीन को भूल जाओ यदि इस जमीन पर पैर रखा तो सालो को जान से मार देंगें मैं इस आराजीयात को किसी दीगर व्यक्ति को बेचकर रहेगे। सायल ने गैरसायल से कहा की इस जमीन पर हम काफी समय से वाहमी बटवारे में आयी आराजीयात पर काबिज काश्त हूँ तो गैरसायल आग बबुला हो गये सायल ने उक्त व्यक्तियो को काफी समझाया और समाज के गणमान्य व्यक्तियों से समझवाया लेकिन वह अज खुद मानने को तैयार नही हैं वादी ने गैरसायल से विधिवत बटवारा करवाने हेतु तहसील चलने का निवेदन किया तो वह आग बबुला हो गये इसके बाद सायल तहसीलदार जी सुरौठ के पास गया और विधिवत बटवारें का निवेदन किया तो तहसीलदार

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

जी सुरौठ सक्षम अदालत से आदेश लेकर आने की कही यदि प्रतिवादीगण न. 1 ता 12 अपनी उक्त बेजा हरकत में सफल हो गया तो सायल को अपूर्तनीय क्षति हो जावेगी जिसकी पूर्ति किसी भी प्रकार सम्भव नहीं हैं इस प्रकार यह प्रार्थनापत्र अस्थायी निषेधाज्ञा पेश करना आवश्यक हुआ है।

प्रार्थना पत्र के मद 05 में दर्ज किया है कि उपरात्त परिस्थिति में गैरसायल नं. 1 लगायत 13 को पाबन्द किया जाना आवश्यक हैं यदि पाबन्द नहीं किया गया तो सायल को अपूर्तनीय क्षति हो जावेगी इस प्रकार सुविधा का सन्तुलन सायल के पक्ष में हैं।

अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया है कि गैरसायल नं. 1 लगायत 12 को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा इस प्रकार पाबन्द फरमाया जावे कि दौराने दावा गैरसायल नं. 1 ता 12 सायल की यह कि खाता संख्या–140 में आराजी खसरा नम्बर 1271 रकबा 0.47 है0,, खसरा नम्बर 1360 रकबा 0.20 है0, खसरा नम्बर 1361 रकबा 0.07 है0, खसरा नम्बर 1367 रकबा 0.02 है0, खसरा नम्बर 1368 रकबा 0.29 है0, खसरा नम्बर 1421 रकबा 0.51 है0, खसरा नम्बर 1424 रकबा 0.84 है0, खसरा नम्बर 1426 रकबा 0.11 है0, खसरा नम्बर 1427 रकबा 0.54 है0, कुल किता–9 कुल रकबा 3.05 हैक्टेयर वाके ग्राम धंधावली, तहसील सूरौठ जिला करौली विवादित भूमि मुतजिक्रा मद नम्बर 2 प्रार्थनापत्र पत्र में सायलान के उक्तानुसार कब्जा काश्त में मजाहमत मदाखलत पैदा ना करे, सायलान को बेदखल ना करे, उक्त भूमि को दीगर व्यक्तियों को रहन–बय ना करे, तथा ना ही किसी दिगर व्यक्ति को उक्त आराजीयात पर जबरन लट्ठ के बल पर कब्जा कराए तथा ऐसा कोई कृत्य ना करे जिससे हकूक सायल पर विपरीत प्रभाव पडे तथा गैरसायल नं. 13 तहसीलदार सुरौठ को भी इस अम्र से पाबंद किया जावे कि आराजीयात मुतजिक्रा मद नम्बर 2 प्रार्थनापत्र की बाबत राजस्व रिकार्ड तथा मौके की स्थिति यथावत बनाये रखे, उक्त आराजीयात बावत किसी अन्य व्यक्ति के हक में नामान्तकरण तस्दीक नहीं करे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर गैरसायलान को जरिये नोटिस तलब किया गया। दिनांक 25.07.2025 को गैरसायलान बावजूद तामील उपस्थित नहीं होने पर उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही करने के आदेश दिये गये।

वकील सायल ने दस्तावेजी सबूत में नकल जमाबन्दी सं0 2071–74 पेश की हैं।

वकील सायल उपस्थित। वकील सायल की एकपक्षीय बहस सुनी गई। वकील सायल ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराया है और सायल का प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा स्वीकार किये जाने का निवेदन किया है।

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

वकील सायलान उपस्थित। वकील सायलान की एकपक्षीय बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया। सायलान की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजी सबूत नकल जमाबन्दी सं0 2071–74 के अनुसार विवादित आराजी खसरा नम्बर 1271 रकबा 0.47 है0, खसरा नम्बर 1360 रकबा 0.20 है0, खसरा नम्बर 1361 रकबा 0.07 है0, खसरा नम्बर 1367 रकबा 0.02 है0, खसरा नम्बर 1368 रकबा 0.29 है0, खसरा नम्बर 1421 रकबा 0.51 है0, खसरा नम्बर 1424 रकबा 0.84 है0, खसरा नम्बर 1426 रकबा 0.11 है0, खसरा नम्बर 1427 रकबा 0.54 है0 कुल किता–9 कुल रकबा 3.05 है0 वाके ग्राम धंधावली तहसील सूरौठ की खातेदारी कटोरी पत्नि रामचरण हि0 1/6, गीता पत्नि घनश्याम हि0 1/36, देवेन्द्र पुत्र घनश्याम हि0 1/36, दिलीप पुत्र रामचरण हि0 1/30, धनसिंह पुत्र घनश्याम हि0 1/36, पप्पू पुत्र रामचरण हि0 1/6, मनीषा पुत्री घनश्याम हि0 1/36, मोहनसिंह पुत्र रामचरण हि0 1/6, विनीता पुत्री घनश्याम हि0 1/36, वी.पी. सिंह पुत्र घनश्याम हि0 1/36, सरोज पत्नि पूरन चौधरी हि0 1/15, हेमलता पत्नि हजारीलाल हि0 1/15, हरवीर पुत्र रामचरण हि0 1/6 जाति जाट सा0देह खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह स्पष्ट है कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 1271 रकबा 0.47 है0, खसरा नम्बर 1360 रकबा 0.20 है0, खसरा नम्बर 1361 रकबा 0.07 है0, खसरा नम्बर 1367 रकबा 0.02 है0, खसरा नम्बर 1368 रकबा 0.29 है0, खसरा नम्बर 1421 रकबा 0.51 है0, खसरा नम्बर 1424 रकबा 0.84 है0, खसरा नम्बर 1426 रकबा 0.11 है0, खसरा नम्बर 1427 रकबा 0.54 है0 कुल किता–9 कुल रकबा 3.05 है0 वाके ग्राम धंधावली तहसील सूरौठ में सायल हि0 1/36 भाग का रिकोर्डेड सहखातेदार काश्तकार है तथा शेष हिस्से के गैरसायल सं01 लगायत 12 रिकोर्डेड सहखातेदार काश्तकार है। सायल उक्त विवादित आराजीयात का रिकोर्डेड सहखातेदार काश्तकार होने के कारण अपने हिस्से की आराजीयात के बाबत दावे के निर्णय तक गैरसायलान को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने के अधिकारी हैं। इस प्रकार सायल का प्रथम दृष्टया केस, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्तनीय क्षति का बिन्दू भी सायल के पक्ष में साबित है। यदि गैरसायलान को दावे के निर्णय तक अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द नहीं किया गया तो सायल के हक, हकूकों पर विपरीत प्रभाव पडने की पूर्ण सम्भावना प्रतीत होती है। पक्षकारान के अधिकार दावे में तय होने हैं। इसलिए दावे के निर्णय तक उक्त विवादित आराजीयात के मौके की यथास्थिति बनाये रखना न्यायोचित प्रतीत होता है कि जिससे पक्षकारों के मध्य और आपसी विवाद व मुकदमेबाजी नहीं बढे। ऐसी स्थिति सायल का प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध गैरसायलान स्वीकार योग्य न्यायोचित प्रतीत होता है।

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

अतः सायल का प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध गैरसायलान स्वीकार किया जाकर गैरसायलान को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से ताफैंसला दावा पाबन्द किया जाता है कि गैरसायलान विवादित आराजी खसरा नम्बर 1271 रकबा 0.47 है0, खसरा नम्बर 1360 रकबा 0.20 है0, खसरा नम्बर 1361 रकबा 0.07 है0, खसरा नम्बर 1367 रकबा 0.02 है0, खसरा नम्बर 1368 रकबा 0.29 है0, खसरा नम्बर 1421 रकबा 0.51 है0, खसरा नम्बर 1424 रकबा 0.84 है0, खसरा नम्बर 1426 रकबा 0.11 है0, खसरा नम्बर 1427 रकबा 0.54 है0 कुल किता–9 कुल रकबा 3.05 है0 वाके ग्राम धंधावली तहसील सूरौठ के मौके की यथास्थिति बनाये रखें। पत्रावली फैंसल सुमार होकर बाद तकमील नम्बर से कम की जाकर मूल दावा के साथ शामिल मिसल रहे।

निर्णय आज दिनांक 23.12.2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

23/12/25

(हेमराज गुर्जर)
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)